

बाढ़ के लिये प्रोटोकॉल

संदर्भ

भारत में बाढ़ लगभग प्रत्येक वर्ष आने वाली एक प्राकृतिक आपदा है, जो अपने साथ एक भीषण तबाही लेकर आती है। ऐसे में इस नयिता से छुटकारा पाने के लिये राज्य सरकारों को एक प्रोटोकॉल बनाने की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु

- देश के पूरवी और पश्चिमी हसिसों में बाढ़ के कहर से कम से कम 600 लोग मारे गए और हज़ारों लोगों वसिथापति हुए हैं। इस प्रत्येक वर्ष आने वाली प्राकृतिक आपदा से नपिटने के लिये एक वशाल क्षमता-नरिमाण कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की बाढ़ एक असामान्य घटना नहीं है।
- वभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की आवृत्ति और बारंबारता में भी काफी परिवर्तनशीलता है।
- बाढ़ प्रभावति क्षेत्रों की जनता सरकार से तेज़ी से राहत और पुनरवास स्थापति करने की उम्मीद करती है, परन्तु इसके अतरिकित लोगों को होने वाले धन की हानिका भी कोई हल नकालना चाहयि।
- बाढ़ के प्रभाव को दूर करने के लिये ज़मीनी स्तर पर भी कई कार्य कयि जाने चाहयि, जैसे- अल्पकालिक आवास, भोजन, सुरक्षति पानी, स्वास्थय देखभाल और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का संरक्षण इत्यादि।
- भारत में नीतगित नरिणय बनाने में सामाजिक समर्थन की कमज़ोर नीव को देखते हुए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन कारकों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है।
- यह नरिशाजनक है कि कुछ राज्य आपदा राहत नधिका पूरा उपयोग नहीं करते हैं।
- 2015 में चेन्नई की बाढ़ जैसे वनाशकारी घटनाएँ राज्यों से बांधों और जलाशयों के प्रवाह को नयितरति करने संबंधी प्रोटोकॉल की समीक्षा की माँग करते हैं।
- केंद्र के आँकड़ों के अनुसार, पछिले चार सालों में बाढ़ से प्रत्येक वर्ष 1,000 से 2,100 लोगों की मौत हुई है, जबकि फिसल और अन्य सार्वजनिक नुकसान एक वर्ष में 33,000 करोड़ रुपए रहा है।
- हमें नरितर आर्थिक वकिस के लिये दोनों मोर्चों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। एक ज़ोरदार मानसून अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण तो है ही, परन्तु सरकारों को अधिक वर्षा के दुष्परणामों से नपिटने के लिये भी तैयार रहना चाहयि।